प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/225528/KPD/KANPUR DEHAT/2214/CFO
दिनांक : 12-11-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **RAINBOW PUBLIC SCHOOL** पता **KHASRA NO. 596 ASAI BAIRI SAWAI,KANPUR TO SHIVLI ROAD,VILL- ASAI BAIRI SAWAI** तहसील - **MAITHA** प्लाट एरिया **22693.85 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2411.27** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	2	0	7.00 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **RAINBOW PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **14-11-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **HARSHIT MISHRA MOB NO 7394047517** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **14-11-2026** से **13-11-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **RAINBOW PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **RAINBOW PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेश नीति के तहत संस्तुति निम्न प्राविधानों के अधीन की जाती है। 1-Occupier/owner should maintain the fire fighting systems round the clock. 2- Occupier/owner should maintain Electrical safety(As per Indian Electricity Act.), to prevent outbreak of the fire round the clock. 3-Occupier/owner should comply section 26 of the UP fire Act 2022 and UP fire service rules 2024 round the clock. 4-Occupier/owner should ensure fire exits to be opened during working hours, to ensure safety of Children,s. Otherwise this issued NOC will be deemed automatically cancelled.

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-11-2026
स्थान : KANPUR DEHAT

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

PRATEEK SHRIVASTAVA

9B7A2895A6EF8425506920FB6DA695F2E126FE64

14-11-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.